पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 38/2025

1. पालाराम
2. मदनलाल

} पिसरान प्रभूराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र कुम्भा जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।
2. सजना पत्नी प्रभुराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।
3. भागीरथ
4. ओमप्रकाश
5. कालूराम

} पि0 प्रभूराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

6. हरदेई पत्नी साहबराम पुत्र प्रभुराम जाति चमार निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. विनोद
8. मानसिंह
9. कालू
10. सीता
11. धापी

} पि0 साहबराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

12. योगेश
13. अंजली

} पुत्र पुत्री कलावती पुत्री साहबराम नाबालिगान जरिये वली पिता सुलतान जाति चमार निवासी गिलाखेड़ा तहसील व जिला फतेहाबाद।

14. संतोष पुत्री प्रभूराम पत्नी रतनलाल जाति चमार निवासी राजगढ जिला चुरू।
15. सीमादेवी पुत्री प्रभूराम पत्नी रूघाराम जाति चमार निवासी मेघाना तहसील नोहर।
16. सुमन पुत्री प्रभूराम पत्नी श्यामलाल जाति चमार निवासी राजगढ जिला चुरू।
17. ग्यारसी पुत्री प्रभुराम पत्नी बहादुरसिंह जाति चमार निवासी कलाना।
18. विमला पुत्री प्रभुराम पत्नी देवीलाल जाति चमार निवासी मेघाना तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 डीपीएन के खाता सं0 60/48 के मु0 न0 47 के किला न0 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु0 न0 50 के किला न0 4 ता 7, 15, मु0 न0 51 के किला न0 1, मु0 न0 52 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.6200है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063है0, गै0 मु0 खाला 0.100है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम अकेले के बजाय वादीगण सं0 1 पालाराम, वादीगण सं0 2 मदनलाल प्रत्येक का 1/7—1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम, प्रतिवादी सं0 3 भागीरथ, प्रतिवादी सं0 4 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं0 5 कालूराम प्रत्येक को 1/7—1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 ता 11 क्रमशः हरदेई पत्नी साहबराम, विनोद पुत्र साहबराम, मानसिंह पुत्र साहबराम, कालूराम पुत्र साहबराम, सीता पुत्री साहबराम, धापी पुत्री साहबराम को संयुक्त रूप से 6/49 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 12 योगेश व प्रतिवादी सं0 13 अंजली नाबालिगान जरिये पिता सुलतान को संयुक्त रूप से 1/49 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चुंकि प्रतिवादी सं0 [illegible] 18 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 व [illegible] के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन [illegible] शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन [illegible] उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 38/2025
अनवान : —

1. पालाराम
2. मदनलाल

} पिसरान प्रभूराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. प्रभूराम पुत्र कुम्भा जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।
2. सजना पत्नी प्रभुराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।
3. भागीरथ
4. ओमप्रकाश
5. कालूराम

} पि0 प्रभूराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

6. हरदेई पत्नी साहबराम पुत्र प्रभुराम जाति चमार निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. विनोद
8. मानसिंह
9. कालू
10. सीता
11. धापी

} पि0 साहबराम जाति चमार निवासीगण भरवाना तहसील भादरा।

12. योगेश
13. अंजली

} पुत्र पुत्री कलावती पुत्री साहबराम नाबालिगान जरिये वली पिता सुलतान जाति चमार निवासी गिलाखेडा तहसील व जिला फतेहाबाद।

14. संतोष पुत्री प्रभूराम पत्नी रतनलाल जाति चमार निवासी राजगढ जिला चुरू।
15. सीमादेवी पुत्री प्रभूराम पत्नी रूघाराम जाति चमार निवासी मेघाना तहसील नोहर।
16. सुमन पुत्री प्रभूराम पत्नी श्यामलाल जाति चमार निवासी राजगढ जिला चुरू।
17. ग्यारसी पुत्री प्रभुराम पत्नी बहादुरसिंह जाति चमार निवासी कलाना।
18. बिमला पुत्री प्रभुराम पत्नी देवीलाल जाति चमार निवासी मेघाना तहसील नोहर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 6 डीपीएन के खाता सं0 60/48 के मु0 न0 47 के किला न0 24/1, [illegible] 25/1, 25/2, 25/3, मु0 न0 50 के किला न0 4 ता 7, 15, मु0 न0 51 के किला [illegible] 1, [illegible] न0 52 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 कुल रकबा 2.7830है0 [illegible] 2.6200है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063है0, गै0 मु0 खाला 0.100है0 खातेदार प्रतिवादी नं0 1 प्रभूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल

आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही विनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 व 8 ता 18 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। व प्रतिवादी सं0 7 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 19 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा 6 डीपीएन वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 6 डीपीएन के खाता सं0 60/48 के मु0 न0 47 के किला न0 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु0 न0 50 के किला न0 4 ता 7, 15, मु0 न0 51 के किला न0 1, मु0 न0 52 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.6200है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063है0, गै0 मु0 खाला 0.100है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 व 14 ता 18 व प्रभुराम के पुत्र साहबराम की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है जिसके कानूनी जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 7 ता 11 व साहबराम की पुत्री कलावती की मृत्यु भी पूर्व में हो चुकी है जिसके कानूनी जायज वारिसान प्रतिवादी सं0 12 व 13 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 18 हिस्सा अनुसार के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 14 ता 18 ने राजीनामा पेश कर उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 13 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 6 डीपीएन के खाता सं0 60/48 के मु0 न0 47 के किला न0 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, मु0 न0 50 के किला न0 4 ता 7, 15, मु0 न0 51 के किला न0 1, मु0 न0 52 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.6200है0, गै0 मु0 रास्ता 0.063है0, गै0 मु0 खाला 0.100है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम अकेले के बजाय वादीगण सं0 1 पालाराम, वादीगण सं0 2 मदनला[illegible] का 1/7–1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 प्रभूराम, प्रतिवादी सं0 3 भागीरथ, प्रतिवादी सं0 [illegible], प्रतिवादी सं0 5 कालूराम प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 6 ता 11 क्रमशः हरदेई पत्नी साहबराम, विनोद पुत्र साहबराम, मानसिंह पुत्र साहबराम, कालूराम पुत्र साहबराम, सीता पुत्री साहबराम, धापी पुत्री साहबराम को संयुक्त रूप से 6/49 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 12 योगेश व प्रतिवादी सं0 13 अंजली नाबालिगान जरिये पिता सुलतान को संयुक्त रूप से 1/49 हिस्सा के खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
[illegible] (जिला-हनुमानगढ़)

मालकान घोषित किये जाते है चुंकि प्रतिवादी सं0 2 व 14 ता 16 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 13 के पक्ष में त्याग कर मुक्त कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सो पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:18:46 IST
Reason: SelfAttested